क्रम संख्या–389

रजिस्टर्ड नं0 ए0 डी0–4

लाइसेन्स सं0 डब्ल्यू0 पी0 ––4

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग––1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 30 अप्रैल, 1987

बैशाख 10, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या–606/सत्रह–वि–1(क) 22–1986

लखनऊ, 30 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

विविध

" भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 22 अप्रैल, 1987 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1987 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1987)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में यथा प्रवृत्त कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 के निरसन की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम — 1–यह अधिनियम कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश, निरसन) अधिनियम, 1986 कहा जायेगा।

अधिनियम संख्या 3 सन् 1898 का निरसन — 2–उत्तर प्रदेश में यथा प्रवृत्त कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,

शिवाधार तिवारी,

विशेष सचिव।